



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50107

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7827/2026

ओमप्रकाश

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 37 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रवीन्द्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त, प्रशासन, मंडल गोरखपुर, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950 की धारा 333 के तहत, केस संख्या 01577/2019 (कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या C201905000001577) [ओमप्रकाश बनाम मंगरू एवं अन्य] का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।
4. पक्षों के वकीलों की बात सुनी गई।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2, यानी अपर आयुक्त, प्रशासन, मंडल गोरखपुर, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, शीघ्रता से करें जबतक कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।